

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या -37/2012 एवं 38/2012 जिला दौसा

देवल्या पुत्र श्योनारायण गोद पुत्र मूल्या, जाति मीणा, आयु 65 साल, निवासी थूणिधिराजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. सोनी पत्नी मूल्या, जाति मीणा, निवासी थूणिधिराजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (मृतक नाम हजफ)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.7.2012 बाबत नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 ग्राम थूणिधिराजपुरा, मूल्या की विरासत सोनी पत्नी मूल्या के नाम

अपील संख्या - 38/2012 जिला दौसा

देवल्या पुत्र श्योनारायण गोद पुत्र मूल्या, जाति मीणा, आयु 65 साल, निवासी थूणिधिराजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र हीरा लाल
मुकेश पुत्र कालूराम
सोनी पत्नी मूल्या (मृतक नाम हजफ)
समस्त जाति मीणा, निवासी थूणिधिराजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.7.2012 बाबत नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.2008 ग्राम थूणिधिराजपुरा, जो विक्रय पत्र के आधार पर सोनी की बजाय चन्द्रभान व मुकेश के नाम किया गया है ।

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्त श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडन्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल

निर्णय

दिनांक- 30.5.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत मूल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 जो सोनी देवी पत्नी मूल्या के नाम तस्दीक हुआ था, के खिलाफ अपील में अति. जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण संख्या 73/2007 में पारित निर्णय दिनांक 20.7.2012 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सोनी पत्नी मूल्या के स्थान पर क्रेता चन्द्रभान व मुकेश के नाम

तस्दीक नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.2008 के विरुद्ध प्रथम अपील में अति. कलक्टर दौसा ने प्रकरण संख्या 14/2008 में पारित निर्णय दिनांक 20.7.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे। दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्राम थूणिधिराजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 67, 60 एवं 161 कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार मूल्या पुत्र तेजा मीना था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 503 पटवारी हल्का द्वारा मृतक मूल्या की पत्नी सोनी के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 21.9.2007 को स्वीकृत किया है। खातेदार सोनी पत्नी मूल्या द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 161 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.4.2008 से चन्द्रभान पुत्र हीरा लाल व मुकेश चन्द्र पुत्र कानाराम को विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.2008 को केता चन्द्रभान व मुकेश चन्द्र के नाम तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त दोनों नामांतरकरणों से व्यथित होकर अपीलार्थी देवल्या पुत्र श्योनारायण गोद पुत्र मूल्या द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनमें मूल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 503 की अपील संख्या 73/2007 में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.7.2012 द्वारा तहसीलदार लालसोट ने मृतक मूल्या पुत्र तेजा के वारिसान की जाँच कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 तस्दीक किया जाना प्रतीत होना एवं अपीलान्ट के नाम वसियत के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से नामांतरकरण की फिसकल प्रोसीडिंग किसी के अधिकार तय नहीं होने की स्थिति में अपील खारिज की है तथा सोनी देवी द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर केता चन्द्रभान व मुकेश के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.08 के खिलाफ अपील संख्या 14/2008 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2012 द्वारा नामांतरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक करने एवं नामांतरकरण की फिसकल प्रोसीडिंग से किसी के अधिकार तय नहीं होना एवं वसियत से संबंधित वाद के विचाराधीन होना बताये जाने से अपील खारिज की है। अति. कलक्टर दौसा के उक्त दोनों निर्णयों से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह पृथक पृथक दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं दोनों अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 20.7.2012 व प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007, 518 दिनांक 1.7.2008 निरस्त किये जाने व स्थिति यथावत रखी जाने की प्रार्थना की।

दोनों अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के मूल खातेदार मूल्या पुत्र तेजा मीना ने अपीलान्ट को बाल्यावस्था में ही अपने पास रखा था। अपीलार्थी ने ही मूल्या की सेवा सुश्रुषा की है जिससे प्रसन्न होकर मूल्या ने अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसियत दिनांक 4.1.2007 को अपीलार्थी के नाम निष्पादित करदी थी और गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष अपनी अंगूठा निशानी कर अपीलार्थी को सुपुर्द

दिनांक
अतिरिक्त संभागाध्यक्ष
दौसा

कर दी थी । खातेदार मूल्या का देहान्त दिनांक 18.7.2007 को होने पर वसियत के आधार पर नामांतरकरण हेतु तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन तहसीलदार ने अपीलार्थी को छोड़कर केवल मूल्या की पत्नि सोनी के नाम नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 को तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अपीलान्त के हक में की गई वसियत के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय दौसा के समक्ष दावा लम्बित रहने के बावजूद भी मूल्या की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से निरस्त नहीं करने में विधिक त्रुटि की है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 503 से सोनी पत्नी मूल्या का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने पर सोनी पत्नी मूल्या द्वारा विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 160 व 161 की भूमि चन्द्रभान व मुकेश को दिनांक 26.4.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी ओर विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.2008 क्रेताओं के नाम तस्दीक कर दिया । अपीलान्त द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त कराने बाबत नियमित वाद देवल्या बनाम चन्द्रभान वाद संख्या 37/08 न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा के समक्ष दिनांक 30.6.2008 को प्रस्तुत किया था, जो विचाराधीन है । वाद के विचाराधीन रहते तहसीलदार ने विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.2008 को तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 518 को निरस्त नहीं करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाकर सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार मूल्या था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 को तहसीलदार लालसोट द्वारा मृतक की पत्नी सोनी के नाम तस्दीक किया गया, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अपीलान्त देवल्या मृतक खातेदार मूल्या की भूमि में दत्तक पुत्र एवं वसियत के आधार पर हक चाहता है । वसियत एवं दत्तक के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसियत एवं दत्तक के आधार पर उत्तराधिकार चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होंगे । वसियत एवं दत्तक के जटिल तथ्यों का निर्धारण नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में नहीं किया जा सकता । रेस्पोंडेन्ट सोनी मृतक मूल्या की विधवा पत्नी होने से मृतक की भूमि प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । दूसरी ओर सोनी पत्नी मूल्या द्वारा विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 161 व 160 की 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट चन्द्रभान व मुकेश को किया था ओर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेताओं के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.2008 तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अपीलान्त के वसियत के आधार पर विवादित भूमि में यदि कोई अधिकार बनते हैं तो विचाराधीन वाद में ही तय होंगे । इसी के दृष्टिगत अपीलान्त की अपीले अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार मूल्या की विरासत के नामांतरकरण का है । मूल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 503 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 21.9.2007 को मृतक की

विवा
विरिक्त संभोग्य
वसु

पत्नी सोनी के नाम तस्दीक किया है एवं सोनी पत्नी मूल्या द्वारा विवादित भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र चन्द्रभान व मुकेश को किये जाने पर क्रेतओं के नाम नामांतरकरण संख्या 518 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 1.7.2008 को तस्दीक किया है । अपीलान्ट देवल्या मृतक खातेदार मूल्या की भूमि में दत्तक पुत्र एवं वसियत के आधार पर अधिकार चाहता है । वसियत एवं विक्रय पत्र के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार मूल्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 503 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 21.9.2007 को मूल्या की पत्नी सोनी के नाम तस्दीक किया है । दत्तक एवं वसियत के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं । नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जो भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । सोनी द्वारा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र चन्द्रभान व मुकेश को किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 518 तहसीलदार लालसोट द्वारा भूमि के क्रेता चन्द्रभान व मुकेश के नाम दिनांक 1.7.2008 को तस्दीक किया है । चूंकि यह नामांतरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है इसलिये जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण को विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलों में अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2012 द्वारा मूल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 503 की अपील संख्या 73/2007 में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.7.2012 द्वारा तहसीलदार लालसोट ने मृतक मूल्या पुत्र तेजा के वारिसान की जांच कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 503 दिनांक 21.9.2007 तस्दीक किया जाना प्रतीत होना एवं अपीलान्ट के नाम वसियत के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से नामांतरकरण की फिसकल प्रोसिडिंग में किसी के अधिकार तय नहीं होने की स्थिति में अपील खारिज की है तथा सोनी देवी द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता चन्द्रभान व मुकेश के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 518 दिनांक 1.7.08 के खिलाफ अपील संख्या 14/2008 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2012 द्वारा नामांतरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक करने एवं नामांतरकरण की फिसकल प्रोसिडिंग से किसी के अधिकार तय नहीं होना एवं वसियत से संबंधित वाद के विचाराधीन होना बताये जाने से अपील खारिज की है, जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 30.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सहायक आयुक्त
जयपुर